

महानिदेशक शिविर

पत्रांक.....3252.....

दिनांक.....14/6/12.....

संख्या-835/पांच-1-2012-3(14)/04

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,

प्रमुख सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

उ०प्र०, लखनऊ।

निदेशक (नर्स/)

14/6/12

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2012

विषय:- विभिन्न प्रकार की औषधियों से संबंधित कय नीति वर्ष 2011 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणी की चिकित्सा इकाइयों में उपयोग हेतु औषधियों के कय के लिये शासनादेश संख्या-1220/पांच-1-2011-3(14)/04, दिनांक 16.05.2011 द्वारा निर्गत नीति तथा एतदसंबंधी समय-समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

क.	बिन्दु	पूर्व व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	जी०एम०पी०/जी०एल०पी० प्रमाण पत्र / डब्ल्यू० एच० ओ०जी०एम०पी० प्रमाण-पत्र	आपूर्तिकर्ता फर्म के पास आवेदन करते समय जी०एम०पी०/ जी०एल०पी० प्रमाणपत्र, डब्ल्यू० एच० ओ० जी०एम०पी० प्रमाण-पत्र औषधि निर्माण का लाइसेन्स एवं विगत 03 वर्षों में निर्माण एवं आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है।	आपूर्तिकर्ता फर्म के पास आवेदन करते समय जी०एम०पी०/ जी०एल०पी० प्रमाणपत्र, डब्ल्यू० एच० ओ० जी०एम०पी० प्रमाण-पत्र औषधि निर्माण का लाइसेन्स एवं विगत 03 वर्षों के निर्माण एवं आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है।
2	उत्पादन एवं विक्रय का अनुभव प्रमाण पत्र	पिछले 03 वर्षों में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा औषधि के उत्पादन एवं विक्रय का अनुभव प्रमाण पत्र, जो उस राज्य की जहाँ फर्म स्थित है, के ड्रग कंट्रोलिंग अथारिटी से प्रमाणित हो।	पिछले 03 वर्षों में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा औषधि के उत्पादन एवं विक्रय का अनुभव प्रमाण पत्र, जो उस राज्य की जहाँ फर्म स्थित है, के ड्रग कंट्रोलिंग अथारिटी से प्रमाणित हो।
3	कुल टर्न-ओवर	प्रदेश के बाहर की आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्न ओवर कम से कम रुपये 100 करोड़ तथा प्रदेश की आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्न ओवर कम से कम रुपये 25 करोड़ थी, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-31847/2011 में ओमेगा बायोटेक लि० व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दि० 16.06.2011 के समादर में न्यूनतम रू० एक करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओवर किया गया।	आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्नओवर कम से कम रुपये 1.00 करोड़ हो।

Dr. H. K. Yadav
15/6/12

A. C. Mishra
15/6/12

संलग्नक-1 का एक प्रतिलिपि
आलोक वर्मा
24/6/12

औषधियों की विशिष्टियों (Specification) के निर्धारण हेतु औषधि समीक्षा समिति का स्वरूप

औषधि समीक्षा समिति निम्नवत होगी:-

1	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, परिवार कल्याण	सदस्य
3	समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	सदस्य
4	सी०डी०आर०आई० के एक विशेषज्ञ	सदस्य
5	आई०टी०आर०सी० का एक विशेषज्ञ	सदस्य
6	औषधि नियंत्रक	सदस्य
7	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित राजकीय मेडिकल कालेज तथा सी०एस०एम०एस० चिकित्सा विश्वविद्यालय के फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, ऐनिस्थेसिया, सर्जरी, गायनकोलॉजी एवं अन्य क्लिनिकल विभागों के एक-एक विशेषज्ञ जो रीडर के स्तर से कम न हों। इन नामित सदस्यों का कार्यकाल केवल 02 वर्ष तक रहेगा।	सदस्य
8	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित पी०एम०एच०एस० के दो विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ परामर्शदाता के स्तर से कम न हों।	सदस्य
9	जनविश्लेषक, उ०प्र०	सदस्य
10	अपर निदेशक, विद्युत	सदस्य
11	अपर निदेशक, भण्डार	सदस्य/संयोजक

औषधि समीक्षा समिति निम्नवत होगी:-

1	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, परिवार कल्याण	सदस्य
3	समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	सदस्य
4	सी०डी०आर०आई० के एक विशेषज्ञ	सदस्य
5	आई०टी०आर०सी० का एक विशेषज्ञ	सदस्य
6	औषधि नियंत्रक	सदस्य
7	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित राजकीय मेडिकल कालेज तथा सी०एस०एम०एस० चिकित्सा विश्वविद्यालय के फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, ऐनिस्थेसिया, सर्जरी, गायनकोलॉजी एवं अन्य क्लिनिकल विभागों के एक-एक विशेषज्ञ जो रीडर के स्तर से कम न हों। इन नामित सदस्यों का कार्यकाल केवल 02 वर्ष तक रहेगा।	सदस्य
8	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित पी०एम०एच०एस० के दो विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ परामर्शदाता के स्तर से कम न हों।	सदस्य
9	जनविश्लेषक, उ०प्र०	सदस्य
10	अपर निदेशक, विद्युत	सदस्य
11	अपर निदेशक, भण्डार	सदस्य/संयोजक

5 स्थानीय कय

वर्तमान व्यवस्था में 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय कयादेश के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत रेट-कान्ट्रैक्ट व स्थानीय कय के माध्यम से कय हेतु व्यवस्थित की जायेगी। 250 या अधिक बेड के चिकित्सालयों हेतु यह धनराशि कमशः 70 व 30 प्रतिशत होगी। उपयोग की जाने वाली सभी आवश्यक दवाओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले से पिछले दो वर्ष के दौरान कय की गयी दवाओं का नाम, उनकी मात्रा तथा वास्तविक उपभोग की स्थिति पहले से ही प्राप्त कर एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जायेगा। औषधियों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर भण्डार गृह में की जायेगी। मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त होने पर धनराशि का भुगतान स्थानीय स्तर पर किया जायेगा। जिला स्तर पर 20 प्रतिशत अथवा

मुख्यालय स्तर पर:-

यू०पी०डी०पी०एल० के माध्यम से औषधियों का कय तथा ब्रान्डेड औषधियों का कय करने हेतु, 20 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि की व्यवस्था मुख्यालय स्तर पर रखी जायेगी। यह ब्रान्डेड औषधियाँ प्रदेश के समस्त परिधिगत चिकित्सालयों को मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जायेगी। इस विषय में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा इन ब्रान्डेड औषधियों की सूची एवं कय की जाने वाली मात्रा पर शासन का पूर्वानुमोदन प्राप्त करके ही कार्यवाही की जायेगी।

		30 प्रतिशत की सीमा तक रेट कान्ट्रैक्ट व स्थानीय कय की दवाओं को रोगी कल्याण समिति, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित अध्यक्ष उपस्थित हो, की पूर्व लिखित स्वीकृति के पश्चात् कय किया जायेगा।	
6	दर अनुबंध की अवधि	केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा निविदा आमन्त्रण एवं तदोपरान्त अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए 31 मार्च तक दर अनुबंध को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से उक्त दर अनुबंध को प्रभावी किया जा सके। सामान्यतः दर अनुबंध एक वित्तीय वर्ष के लिए किये जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही आगामी वर्ष के लिए दर अनुबंध निष्पादित करने की प्रक्रिया केन्द्रीय भण्डार द्वारा प्रारम्भ कर दी जायेगी। अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में दर अनुबंध की अवधि में अधिकतम 3 माह के लिए वृद्धि, शासन द्वारा की जा सकेगी।	केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा निविदा आमन्त्रण एवं तदुपरान्त अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन व्यवस्थानुसार 31 मार्च तक दर अनुबंध को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से उक्त दर अनुबंध को प्रभावी किया जा सके। सामान्यतः दर अनुबंध एक वित्तीय वर्ष के लिए किये जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही आगामी वर्ष के लिए दर अनुबंध निष्पादित करने की प्रक्रिया केन्द्रीय भण्डार द्वारा प्रारम्भ कर दी जायेगी। अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में दर अनुबंध की अवधि में वृद्धि वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 दिनांक 27.04.2001 यथासंशोधित शासनादेश सं०-ए-1-464/दस-2004-10(55)/2000 दिनांक 04.11.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा की जा सकेगी। उक्त के साथ-साथ दर अनुबंध के लिए धरोहर राशि (अरनेस्टमनी) कार्य लागत की न्यूनतम 1/2 प्रतिशत होगी। दर अनुबंध में प्रतिभूति (सिक्योरिटी) धनराशि वित्तीय हस्तुतिका खण्ड-5 भाग-1 के अपैन्डिक्स-19 ए के प्रस्तर-IV में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

2. औषधि कय-नीति को और अधिक सुस्पष्ट तथा सुग्राह्य बनाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर उनके सम्मुख नई व्यवस्था प्राविधानित की जाती है :-

1	कय की जाने वाली औषधियों के नाम	उपरोक्त दर अनुबंध किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित औषधि समीक्षा समिति द्वारा गत तीन वर्षों में दर अनुबंध अथवा स्थानीय कय की जाने वाली औषधियों की सूचना प्राप्त करके दर अनुबंध के लिये औषधियों के नाम को अंतिम रूप दिया जायेगा।
2	बैचवार एन०ए०बी०एल० प्रमाण पत्र की मान्यता	दवाओं के निर्माणोपरांत टेस्ट में हुये विलम्ब को देखते हुये यदि फर्म द्वारा बैचवार एन०ए०बी०एल० द्वारा प्रमाणिक लैब का प्रमाण दे दिया जाता है तो उसे मान्य किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर सैम्पलिंग कराकर जांच कभी भी करायी जा सकती है।
3	जमानत राशि	गैरमानकीकृत व आपूर्ति में अक्षम फर्मों को बाहर करने के उद्देश्य से मात्रा अनुबंध के लिए धरोहर राशि (अरनेस्टमनी) कार्य लागत की न्यूनतम 1/2 प्रतिशत होगी। मात्रा अनुबंध में

		प्रतिभूति (सिक्वोरिटी) धनराशि वित्तीय. हस्तुस्तिका खण्ड-5 भग-1 के अपैन्डिक्स-19 ए के प्रस्तर-IV में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
4	औषधियों की आपूर्ति	प्रदेश में प्रत्येक बिडर का कोई डिपो होना आवश्यक होगा ताकि औषधियों की आपूर्ति समय के अन्तर्गत सुनिश्चित करायी जा सके। आपूर्ति न करने वाली फर्मों को तीन साल हेतु बिड करने से प्रतिबन्धित किया जायेगा, काली सूची में डाला जायेगा तथा उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। फर्मों के विनिर्माण परिसरों का भौतिक परीक्षण उनकी गुणवत्ता, जी0एम0पी0 अनुपालन व उनकी क्षमता का परीक्षण कभी भी किया जा सकता है। औषधियों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर भण्डार गृह में की जायेगी। मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त होने पर धनराशि का भुगतान स्थानीय स्तर पर किया जायेगा। औषधि निर्माता फर्मों द्वारा आपूर्ति प्रदेश स्थित डिपो के माध्यम से की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अल्प क्रय हेतु प्रदेश के बाहर स्थित डिपो से आपूर्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य निर्णय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा शासन की पूर्व अनुमति से लिया जायेगा। अतः औषधि मांग पत्र आपूर्ति एवं भुगतान हेतु समस्त कार्यवाही निर्माता फर्म द्वारा वर्णित एवं सी0एम0एस0डी0 द्वारा दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध की दर सूची में वर्णित डिपो से किया जाना अनिवार्य होगा।
5	उत्पादन क्षमता	आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत आमंत्रित निविदा में प्रस्तावित औषधि की श्रेणी (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 यथासंशोधित के शिड्यूल-एम द्वारा निर्धारित श्रेणीवार) से कम से कम दोगुनी मात्रा पिछले 03 वर्षों में उत्पादन क्षमता हो, इसका उपरोक्तानुसार ड्रग कंट्रोलर द्वारा प्रदत्त प्रमाणित अभिलेख उल्लेख हो। विभाग द्वारा वर्णित प्रारूप-16 के अनुसार उत्पादन क्षमता जो कि निर्माता फर्म के संबंधित प्रदेश के औषधि नियंत्रक/ड्रग अथारिटी द्वारा विगत 03 वर्षों में दुगुना उत्पादन क्षमता प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
6	लाईफ सेविंग दवाओं का क्रय ब्रांड नेम से कय व इनकी सूची	कतिपय आकस्मिक उपयोग की लार्इफ सेविंग दवाओं का क्रय ब्रांड नेम से केंद्रीयत रूप में किया जायेगा। इसकी सूची औषधि समीक्षा समिति द्वारा तैयार की जायेगी। ब्रांड नेम से कय की जाने वाली औषधियों का क्रय उच्च स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा तथा इसकी अधिकतम सीमा कुल केंद्रीयत बजट के अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगी।
7	शेल्फ लाईफ	आपूर्ति के समय औषधि के निष्प्रयोग्य (एक्सपायर) होने की निर्धारित अवधि की कम से कम 75 प्रतिशत आपूर्ति की तिथि पर अवश्य अवशेष होनी चाहिये तथा निर्माण की तिथि 06 माह से अधिक पुरानी न हो।
8	औषधियों की मात्रा का निर्धारण	समस्त सी0एम0ओ0 व सी0एम0एस0 प्रतिदिन औषधियों की आवश्यकता व उपभोग की स्थिति से अवगत करायेंगे। इस हेतु वेब-बेस्ड कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा। समस्त सी0एम0ओ0 व सी0एम0एस0 प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में

		दवाओं की माहवार आवश्यकता निर्धारित माँग-पत्र में देंगे। साथ ही प्रत्येक माह के प्रारम्भ में वास्तविक उपभोग व वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अपने माहवार माँग-पत्र संशोधित करेंगे जिससे औषधियों की आपूर्ति समयान्तर्गत की जा सके। निदेशालय स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सालयों में आपूर्ति होने वाले औषधियाँ माँग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। समिति द्वारा इस हेतु केन्द्रीय औषधि भंडार (सी०एम०एस०डी०) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के संबंध में एक कार्य योजना बनायी जायेगी तथा समय-समय पर उसके समुचित क्रियान्वयन हेतु सुझाव दिया जायेगा।
--	--	---

3. औषधि क्रय नीति में उपर्युक्त संशोधनों के साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं को भी स्पष्ट किया जाता है:-

1. बिडिंग हेतु विज्ञापन कम से कम दो हिन्दी व दो अंग्रेजी के राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में दिया जायेगा। विज्ञापन नोटिस सभी राज्यों के ड्रग नियंत्रको एवं फार्मा विनिर्माण संघों को भी भेजी जायेगी। साथ ही साथ इसे वेब-साइट पर भी अपलोड किया जायेगा।
2. बिडर का मैनुफैक्चरर होना आवश्यक होगा तथा बिडिंग में मैनुफैक्चरर को स्वयं भाग लेना अनिवार्य होगा।
3. बिडिंग 2-बिड पद्धति पर आधारित होगी। टेक्निकल बिड बिडर्स की उपस्थिति में खोली जायेगी। जिन बिडर्स के आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे, उन्हें सूचित कर उनकी फाइनैन्सियल बिड नहीं खोली जाएगी। बिड का परीक्षण सभी बिडर्स की उपस्थिति में किया जायेगा।
4. टेक्निकल बिड अर्ह पाये जाने पर ही उनके वित्तीय ऑफर उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोले जायेंगे। बिडर्स औषधियों की दरों की सॉफ्ट कॉपी सी०डी० में व अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करते हुए देंगे। एल-1 दरें निर्धारित होने पर वेब-साइट पर दी जायेगी व नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी। तदुपरान्त एल-1 बिडर के पक्ष में सहमति पत्र निर्गत किया जायेगा तथा सहमति पत्र में निहित शर्तों को पूर्ण करने पर बिडर से अनुबन्ध किया जायेगा व सिक्योरिटी धनराशि जमा करायी जायेगी। एल-1 बिडर को निगोसियेशन हेतु बुलाना आवश्यक हो तो शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-387/पॉच-1 -12-5(2)/11, दिनांक 27.03.2012 द्वारा गठित उच्च स्तरीय परीक्षण समिति की अनुमति ली जायेगी। निविदा में फर्म द्वारा जमा किये गये अभिलेख/प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उक्त फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे काली सूची में डाला जायेगा तथा किसी निविदा में प्रतिभाग करने हेतु उसे कम से कम 05 वर्षों की अवधि के लिये प्रतिबंधित किया जायेगा।
5. न्यूनतम बिडर (एल-1) की बिड स्वीकार होने की दशा में दिये जाने वाले कयादेश इलेक्ट्रानिकली बिडर को ही दिये जायेंगे। इसके लिए यदि बिडर द्वारा कोई डीलर/एजेन्ट अधिकृत किया जाये, तो उस दशा में उसका प्रमाणित नाम एवं निवास का पता तथा फोटोग्राफ इत्यादि मूलरूप में सभी इन्डेन्टिंग अधिकारियों को दिये जायें ताकि किसी भी दशा में प्रतिरूपण की स्थिति न उत्पन्न हो।
6. लोकल परचेज के माध्यम से क्रय की जाने वाली दवाओं का दैनन्दिन लेखा-जोखा, जिसमें दवा का नाम, मात्रा, धनराशि तथा लाभार्थी का नाम भी सम्मिलित होगा, प्रतिदिन वेब-वेसड प्रणाली पर अपलोड

किया जायेगा किन्तु यह व्यवस्था यू0पी0एच0एस0 एस0पी0 द्वारा वेब- बेस्ड प्रणाली विकसित करने पर प्रभावी होगी।

7. विभाग द्वारा जिला एवं मण्डल मुख्यालयों पर वेयरहाउस की व्यवस्था हेतु यू0पी0एच0एस0एस0पी0 व एन0आर0एच0एम0 में प्राविधान किया जायेगा किन्तु यह व्यवस्था यू0पी0एच0 एस0 एस0पी0 द्वारा वेब- बेस्ड प्रणाली विकसित करने पर प्रभावी होगी।

8. औषधियों के वेयरहाउस प्रबन्धन, क्रयादेश, आपूर्ति, सैंपलिंग, जांच तथा भुगतान हेतु कम्प्यूटरीकृत वेब-बेस्ड प्रणाली विकसित की जायेगी। इस प्रणाली को दिनांक 01 जुलाई 2011 से लागू किया जायेगा किन्तु यह व्यवस्था यू0पी0एच0 एस0 एस0पी0 द्वारा वेब- बेस्ड प्रणाली विकसित करने पर प्रभावी होगी।

9. यू0पी0डी0पी0एल0 द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के क्रयादेश यू0पी0डी0पी0एल0 को उनकी क्षमता व विनिर्माण/आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए दिये जायेंगे। यू0पी0डी0पी0एल0 द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधियों हेतु भी बिड आमन्त्रित की जायेगी ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में उनकी आपूर्ति अन्य फर्मों से की जा सके।

4- केंद्रीय व जिला स्तर पर मात्रा अनुबंध व दर अनुबंध के अधीन औषधियों के क्रय हेतु प्रचलित निविदा-प्रपत्र में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्रमांक	बिंदु	पूर्व व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	फर्मों का पंजीकरण	फर्मों के पंजीकरण के लिये डी0जी0एस0एण्ड0डी0, एन0एस0आई0 सी0, डी0आई0एस0पी0एस0, कानपुर में पंजीकरण की अनिवार्यता के साथ ही लघु उद्योग इकाईयों के पंजीकरण के लिये उद्योग विभाग के पत्र संख्या-4196/एस0पी0एस0, दिनांक 11.05.91 के क्रम में लघु उद्योग इकाईयों के लिये महाप्रबंधक जिला उद्योग के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दी जायेगी, जिनका एक समय सीमा के बाद नवीनीकरण हो। ऐसी फर्में जो डी0आई0 कानपुर, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा एन0एस0आई0सी0, नई दिल्ली में पंजीकृत नहीं है तो उपयोगी एवं गुणवत्तायुक्त औषधि के क्रय की दृष्टि से ऐसी फर्में 02 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि बैंक गारंटी के रूप	फर्मों के पंजीकरण के लिये डी0जी0एस0एण्ड0डी0, एन0एस0आई0 सी0, डी0आई0एस0पी0एस0, कानपुर में पंजीकरण की अनिवार्यता के साथ ही लघु उद्योग इकाईयों के पंजीकरण के लिये उद्योग विभाग के पत्र संख्या-4196/एस0पी0एस0, दिनांक 11.05.91 के क्रम में लघु उद्योग इकाईयों के लिये महाप्रबंधक जिला उद्योग के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दी जायेगी, जिनका एक समय सीमा के बाद नवीनीकरण हो। ऐसी फर्में जो डी0आई0 कानपुर, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा एन0एस0आई0सी0, नई दिल्ली में पंजीकृत नहीं है तो उपयोगी एवं गुणवत्तायुक्त औषधि के क्रय की दृष्टि से ऐसी फर्में 02 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि बैंक गारंटी के रूप जमा करके निविदा में भाग ले सकेंगी।

		जमा करके निविदा में भाग ले सकेंगी।	
2	निविदा फार्म की कीमत	निविदा फार्म की कीमत रु0 1000/- होगी।	निविदा फार्म की कीमत रु0 1000/- होगी।
3	ई0एम0डी0	निविदा प्रपत्र के साथ ई0एम0डी0 रु0 5000/- होगी।	निविदा प्रपत्र के साथ ई0एम0डी0 रु0 5000/- होगी।
4	दर अनुबंध के लिये धरोहर राशि	दर अनुबंध के लिये धरोहर राशि न्यूनतम रु0 25,000/- होगी। इसमें अधिकतम पांच आइटम रखा जायेगा तथा इसके पश्चात प्रति आइटम रु0 5000/- धरोहर राशि होगी।	औषधियों के दर अनुबंध में धरोहर धनराशि(अर्नेस्ट मनी) ₹50 हजार तथा जिन फर्मों के औषधियों की दरें एल0-1 निर्धारित हो जाये, उनकी धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) को प्रतिभूति धनराशि सिक्योरिटी मनी ₹50 हजार प्रति आइटम के रूप में जमा कर ली जाय।
5	पंजीकरण हेतु न्यूनतम टर्नओवर	विभाग में निविदादाता फर्मों के पंजीकरण हेतु न्यूनतम रु0 25 करोड़ के टर्न ओवर के साथ पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क रु0 7000/- तथा नवीनीकरण प्रति तीन वर्ष के पश्चात किया जायेगा।	विभाग में निविदादाता फर्मों के पंजीकरण हेतु न्यूनतम रु0 एक करोड़ के टर्न ओवर के साथ पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क रु0 7000/- तथा नवीनीकरण शुल्क रु0 5,000/- प्रति तीन वर्ष के पश्चात किया जायेगा।

5- कय सीमा/अनुमोदन का स्तर :-

क्रमांक	बिंदु	पूर्व व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1		केन्द्रीय कय समिति (सी0पी0सी0) को औषधियों के कय के सम्बंध में रु0 1.00 करोड़ तक की औषधियों के कय का अधिकार होगा। इससे अधिक के सभी आइटम उच्च स्तरीय कय समिति(एच0पी0सी0) के अनुमोदन से कय किये जायेगें। सिंगिल कोटेड औषधि एवं ब्रांड नेम की औषधियों के समस्त कय में उच्च स्तरीय कय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।	केन्द्रीय कय समिति (सी0पी0सी0) को औषधियों के कय के सम्बंध में रु0 1.00 करोड़ तक की औषधियों के कय का अधिकार होगा। इससे अधिक के सभी आइटम कार्यालय ज्ञाप सं0-387/पॉच-1-12-5(2)/11, दिनांक 27.03.2012 द्वारा गठित उच्च स्तरीय परीक्षण समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जायेगी। उच्च स्तरीय परीक्षण समिति की संस्तुतियों को रूल्स आफ बिजनेस के नियम-3 के अन्तर्गत मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त कय की कार्यवाही की जायेगी। सिंगिल कोटेड औषधि

		एवं ब्रांड नेम की औषधियों के समस्त कय के प्रकरण भी उपर्युक्तानुसार उच्च स्तरीय परीक्षण समिति को प्रस्तुत करते हुए इसकी संस्तुतियों पर मा० मंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त कर कय की कार्यवाही की जायेगी।
--	--	---

6. औषधियों के कय हेतु कय समितियों का गठन निम्नवत् होगा:-

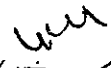
केन्द्रीय कय समिति, औषधि।

क्रमांक	पूर्व व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था	
1	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।	अध्यक्ष महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, परिवार कल्याण	सदस्य महानिदेशक, परिवार कल्याण	सदस्य
3	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
4	समस्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,	सदस्य समस्त निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	उद्योग निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से कम न होंगे	सदस्य उद्योग निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर से कम न होंगे।	सदस्य
6	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र०	सदस्य
7	औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश	सदस्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी, उ० प्र०	सदस्य
8	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।	सदस्य वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र०	सदस्य
9	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, परिवार कल्याण	सदस्य वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ० प्र०	सदस्य
10	निदेशक, भण्डार,	सदस्य निदेशक, भण्डार	सदस्य सचिव

7- औषधियों से सम्बन्धित कय नीति में निम्नलिखित अतिरिक्त प्राविधान किये जाते हैं:-

1. आकस्मिकता की स्थिति में डी०जी०एस० एण्ड डी०/ई०एस० आई०सी० अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन में से जिस किसी भी संस्था की दरें न्यूनतम हो, उस पर दर अनुबन्ध अथवा मात्रा अनुबन्ध से अनाच्छादित औषधि/उपकरण शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर कय की जा सकेगी। निर्माता फर्मों के मूल बीजक ही मान्य होंगे तथा कय आदेश जारी होने की स्थिति में फर्म द्वारा किया गया कोई भी डाइवर्जन मान्य नहीं होगा।

2. दरों का औचित्य सुनिश्चित किया जाना :- निविदादाता फर्म को निविदा के साथ इस आशय का शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत निविदा में उनके द्वारा दी गयी दरों से कम दरों पर उक्त सामग्री का विक्रय प्रदेश में कहीं पर भी नहीं किया गया है, यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदादाता फर्म अन्तर की धनराशि विभाग को 8 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज सहित भुगतान करेगी।
3. औषधि की आपूर्ति एवं भुगतान निर्माता को सुनिश्चित किया जाना-निविदादाता फर्म निविदा के साथ अपने बैंक खाता संख्या, जिसके माध्यम से वह आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करना चाहती है, का उल्लेख किया जायेगा। संबंधित फर्म को धनराशि का भुगतान उपरोक्त सूचित बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित कोषागार से फर्म द्वारा सूचित बैंक खाता संख्या के उल्लेख सहित चेक प्राप्त की जायेगी।
4. औषधियों से सम्बन्धित कय नीति वर्ष 2011 तथा इसमें उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन उसी सीमा तक वैध माने जायेंगे, जिस सीमा तक प्रकरण में उद्योग विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था इसके प्रतिकूल न हो।
8. इस संबंध में पूर्व में प्रचलित औषधियों से सम्बन्धित कय-नीति एवं एतदसंबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य नियम एवं प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

 (संजय अग्रवाल)
 प्रमुख सचिव।

संख्या-835(1)/पॉच-1-12, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0)।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0)।
7. निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0)
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0)।
11. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (जिला पुरुष/महिला चिकि0) उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0)।
12. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर0एस0 परिहार)
 अनु. सचिव।

